

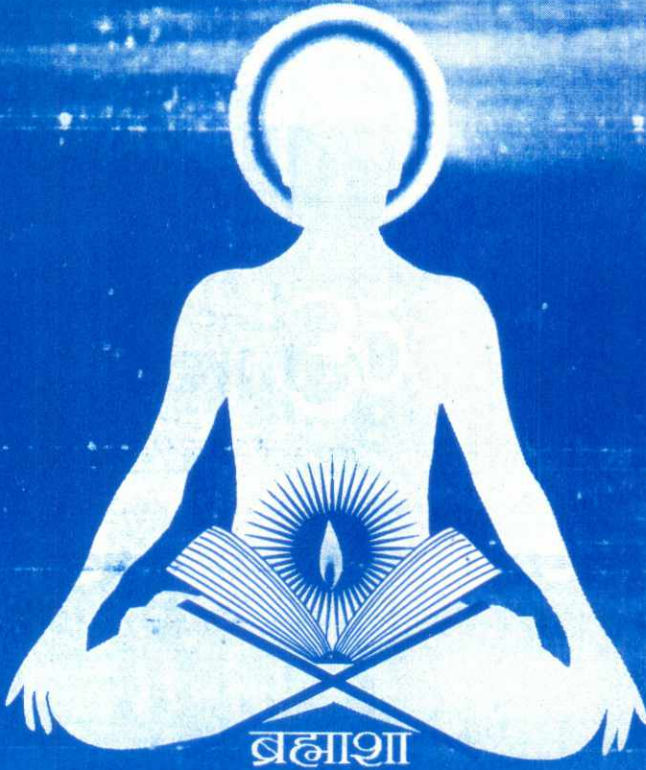
Vol.10 February '17 No. 7
Annual Subscription : Rs 100
Rs. 10/- per copy

ब्रह्मार्पण

BRAHMARPAN

वेदोऽखिलो
धर्ममूलम्

A Monthly publication of
Brahmasha India Vedic
Research Foundation



Brahmasha India Vedic Research Foundation

ब्रह्मशा इंडिया वैदिक रिसर्च फाउन्डेशन

महान ऋषिवर दयानन्द (महर्षि दयानन्द खलिदान-समारोह पर)

देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा॥
इक ओर सारी दुनिया, इक ओर वो अकेला।
कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला॥
देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा॥
दुनिया के हर सितम को, मर्दानगी से झेला।
हर दम रहा अड़ा वो, सुदृढ़ चट्टान जैसा॥
देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा॥
देखा किसी का दुःख तो, ऋषिवर की आँख रोई।
जग के लिए ऋषि ने, रातों की नींद खोई॥
देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा॥
देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज-सा न कोई।
दिल था विशाल इतना, है आसमान जितना॥
देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा॥
ऐ आर्यो तुम मेरी समाधि नहीं बनाना।
मेरे तन की राख लेकर, खेतों में जा गिराना॥
वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना।
बन जाय 'श्याम' जीवन, ऋषिवर महान जैसा॥'
देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा॥'

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION ACKNOWLEDGES
WITH THANKS RECEIPT OF THE FOLLOWING DONATIONS:

- | | |
|--|------------|
| 1. Shri K.N. Bhasin, C4D/11A, Janakpuri, New Delhi-58 | Rs. 1000/- |
| 2. Shri Chandra Datt, DA/99B, Hari Nagar, New Delhi-64 | Rs. 500/- |
| 3. Shri M.L. Ahuja, C2D/32A, Janakpuri, New Delhi-58 | Rs. 500/- |

Donations to the Foundation are eligible for Tax Exemption under Section
80G of the Income Tax Act 1960 Vide No.DIT(E)/1/3313/DELBE 21670-2503210
dated 25.03.2010.



**BRAHMASHA INDIA VEDIC
RESEARCH FOUNDATION**

C2A/58, Janakpuri,
New Delhi-110058

Tel :- 25525128, 9313749812

email:deeukhal@yahoo.co.uk

brahmasha@gmail.com

Website : www.thearyasamaj.org

of Delhi Arya Pratinidhi Sabha

Sh. B.D. Ukhul

Secretary

Dr. B.B. Vidyalkar 0124-4948597

President

Col.(Dr.) Dalmir Singh (Retd.)

V.President

Dr. Mahendra Gupta V.President

Ms. Deepti Malhotra

Treasurer

Editorial Board

Dr. Bharat Bhushan Vidyalkar,
Editor

Dr. Harish Chandra

Dr. Mahendra Gupta

Acharya Gyaneshwararya

लेख में प्रकट किए विचारों के
लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं
है। किसी भी विवाद की
परिस्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली
ही होगा।

Printed & Published by

B.D. Ukhul for Brahmasha India
Vedic Research Foundation
Under D.C.P.

License No. F2 (B-39) Press/
2007

R.N.I. Reg. No. DELBIL/ 2007/22062

Price : Rs. 10.00 per copy

Annual Subscription : Rs. 100.00

Brahmarpan January'17 Vol. 10 No.7

माघ-फाल्गुन 2073 वि.संवत्

**ब्रह्मार्पण
BRAHMAPAN**

A bilingual Publication of Brahmasha
India Vedic Research Foundation

CONTENTS

1. महान ऋषिवर दयानन्द 2
2. संपादकीय 4
3. सांख्य दर्शन 8
-डॉ. भारत भूषण
4. शिवरात्रि जब बोधरात्रि बन गई 9
-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार
5. वे बलिदानी स्वाभिमानी हिन्दू थे 13
-शिवकुमार गोयल
6. जरूरी है न्यायपालिका की लक्ष्मण
रेखा 18
-सुधांशु रंजन, टी.वी. पत्रकार
7. आरक्षण से समाज व देश की
हानि 20
-मनुदेव 'अभय' विद्यावाचस्पति
8. आतंकवाद का समर्थन करने वाले
भी आतंकवादी 25
-डॉ. वेद प्रताप वैदिक
9. सही जानकारी प्राप्त करना पाठक
का अधिकार 28
-विश्वनाथ सचदेव
10. कश्मीर समाधान 30
-शाहिद रहीम
11. Dayanand As A Preacher 34
-Ved Mitra

संपादकीय

प्रधानमंत्री श्री मोदी का विमुद्रीकरण पर साहसिक कदम

8 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण की घोषणा करके देश के सभी राजनीतिक दलों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस दौर में देश की जनता को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? यह निर्णय प्रधानमंत्री की सख्त छवि के अनुरूप ही था। अब प्रश्न यह है कि विमुद्रीकरण या इस नोटबंदी का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। इस विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का विचार है कि जनता को हो रही कठिनाइयों से भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो सकता है। विशेषरूप से उत्तरप्रदेश सहित पाँच राज्यों के चुनाव में। परन्तु इस बात पर विश्वास करने से पहले यह विचार करना भी आवश्यक है कि क्या मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस कदम के संभावित खतरे का जरा भी अनुमान नहीं था? एक केंद्रीय मंत्री का बयान इस प्रश्न का काफी सीमा तक उत्तर दे सकता है। उनका कथन है कि मोदी जी रूटीन सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं। वे बड़े फैसले लेने ही आए हैं।

सन् 2014 के चुनाव में मोदी ने भाजपा को जिताया था। मोदी जैसा आकर्षक व्यक्तित्व जनता को इससे पूर्व किसी दूसरे नेता में नहीं दिखा था। इससे मोदी को विश्वास हुआ और उसने कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं किया। यदि मोदी अपनी छवि के अनुसार नोटबंदी का निर्णय न लेते तो वे वोटर्स की नजर में गिर जाते तब उनमें और दूसरे प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली में क्या अन्तर रहता? भावी चुनाव को ध्यान में रखकर उन्हें स्वयं को दूसरों से अलग दिखाना जरूरी था। विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है

1. नोटबंदी से बैंकों में अधिक धन जमा होगा। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें कम करने की सोच सकता है।
2. रियल एस्टेट और शेयर बाजार में कीमतें कम हो सकती

हैं क्योंकि विमुद्रीकरण से कालाधन समाप्त होगा जिससे बाजार में माँग कम होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से कैश की समस्या होगी। अतः सस्ते में बेचना मजबूरी होगी।

3. नोटबंदी से वित्तीय घाटा कम होगा। सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी। फर्जी नोटों के गायब होने से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
4. कैश न होने से खरीददारी कम होने से बाजार में माँग कम हो सकती है। ऐसे में सरकार को मँहगाई पर नियंत्रण पाने में सुविधा होगी।
5. विमुद्रीकरण से आतंकवादियों, नक्सलवादियों की कारवाइ पर रोक लगेगी। इससे पाकिस्तान में दाउद एंड कम्पनी का धंधा चौपट हो गया। कश्मीर में पत्थरबाजी पर विराम लग गया। इधर देश में चोरी-डकैती की वारदातें कम हो गईं।

10% से 30% कमीशन पर बिके बैंक अफसर:

आठ नवम्बर से पूर्व जो जनधन खाते बैंक अधिकारियों के लिए मुसीबत बने हुए थे वे नोटबंदी के बाद उनकी कमाई का साधन बन गए। कालाधन वालों और बैंक अधिकारियों की मिली भगत से इन खातों का खूब दुरुपयोग हुआ। इस बारे में एक जाँचकर्ता इन्स्पेक्टर ने बताया कि बहुत से खातों में धन राशि जमा की गई और दो-चार दिन सारी रकम निकाल ली गई। ऐसे खाते मजदूरों और गरीब लोगों के थे। इनमें पहले विदड़ाअल फार्म पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। जिन खातों में पैसे जमा कराए गए उन्हें एक लाख रुपए पर 5000 रु. तक कमीशन दिया गया। ऐसे भी 40-50 जनधन खाते मिले जिनमें 10 लाख तक धनराशि जमा हुई। इसके अतिरिक्त कई बैंक अधिकारियों ने कमीशन लेकर कालेधन को सफेद कराने का धंधा शुरू कर दिया। ऐक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंकों में 40-50 ऐसे फर्जी खाते खोले जिनमें करोड़ों रुपए जमा हुए। इसी दौरान हवाला के जरिए बाहर भी पैसा भेजा गया। बड़ी मात्रा में काला धन रखने वालों ने पुराने नोटों से सोना खरीद कर हवाला आपरेटरों की मदद से उतनी रकम बाहर भेज दी।

कतारें तो सिमट रहीं हैं, परेशानी नहीं:

धीरे-धीरे कतारे सिमट रहीं हैं परन्तु परेशानी वैसी की वैसी ही है। ऐसा नोट बदलवाने की सीमा 4000 से 2000 करने और उंगली पर स्याही लगाने के फैसले से हुआ। सामान्य जनता लाइनों में लगने से बहुत दुःखी। सब काम धंधा चौपट, किसानों की खेती-बाड़ी, बुवाई-रोपाई बंद/कई शादियाँ धनाभाव में स्थगित हो गईं।

हंगामे की भेंट चढ़ा सदन:

संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा और विपक्षी दलों ने नोटबंदी का जमकर विरोध किया। प्रतिदिन संसद के दोनों सदन लगते और विपक्षी दलों के हंगामे के कारण स्थगित हो जाते।

कहाँ-कहाँ से कालाधन मिला देखिए कुछ उदाहरण:

1. दिल्ली से करोड़ों रुपयों के पुराने नोट मुंबई ले जाकर बदलवाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने करोलबाग के होटल में छापा मारकर पाँच लोगों को पकड़ा।
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 5 लॉकरों से 10 करोड़ की रकम जब्त की गई।
3. कर्नाटक में आयकर विभाग ने 2.25 करोड़ रुपए के नए नोट पकड़े।
4. चंडीगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी से दो करोड़ 18 लाख रुपए के नए नोट मिले।
5. बंगलूरु में एक महिला से 2.89 करोड़ रुपए मिले। महिला ने आयकर की टीम पर अपने कुत्ते छोड़ दिए।
6. पुलिस को भजियावाला (चाय बेचने वाले से) 2000 करोड़ रुपए मिले। यह फाइनेन्सर है। लोगों को ऋण देता है। उससे 35 कि. सोना, आठ कि. चाँदी, 1 कि. हीरों के गहने मिले।
7. मुम्बई में झवेरी बाजार में प्रवर्तन निदेशालय के छापे में 70 करोड़ रुपए जब्त किए गए।
8. नोयडा में महालक्ष्मी ज्वैलर्स के आयात किए गए 150 किलो सोने में से 40 कि. सोना पकड़ा गया।
9. चांदनी चौक के तीन ज्वैलर्स से 74 करोड़ रुपए जब्त किए गए।

10. शहडोल/छतरपुर (म.प्र.) में नकली 2000 के नोट छापने की फैक्टरी पकड़ी गई।

11. कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक हवाला ऑपरेटर के यहाँ छापेमारी में 5.7 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मिले। इसके अलावा 32 कि. सोना और 90 लाख रुपए के पुराने 500, 1000 के नोट भी मिले। यह सब बाथरूम में टाइल्स के पीछे एक गुप्त लॉकर में रखा था।

12. बंगलूरु में आयकर विभाग ने तलाशी में 24 करोड़ के नए नोट जब्त किए। नोटाकार में 12 डिब्बों में 2000-2000 के 24 करोड़ रुपये के नोट रखे थे।

13. फर्जी खातों में कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष कुमार ने 34 करोड़ जमा कराने के लिए 13 करोड़ की धूस ली। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आशीष को उद्योगपति शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदलवाने के कारण गिरफ्तार किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के व्यापारी पारसमल लोढ़ा पर 25 करोड़ की पुरानी करंसी को नई करंसी में बदलवाने का आरोप था। अधिकारियों ने लोढ़ा को उस समय गिरफ्तार किया जब वह मुंबई एअरपोर्ट से मलेशिया भागने वाला था। लोढ़ा ने दिल्ली के वकील रोहित टंडन के 25 करोड़ और चेन्नै के सैंड माफिया शेखर रेड्डी के भी 18 करोड़ पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाने में सहायता की। इसके लिए उसने 15-20% कमीशन लिया। लोढ़ा के संपर्क भारत के बड़े-बड़े व्यापारियों से थे। वह हवाला और बेनामी आपरेशन में भी संलग्न था।

इस काले धंधे का कोई अन्त नहीं। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए हैं।

अन्त में, विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में बैंकों और ATM पर कतारों में खड़े उन लोगों के प्रति मैं हार्दिक समवेदना प्रकट करना चाहूँगा जिनकी अपने इस पारिवारिक कृत्य में मृत्यु हो गई। साथ ही आशा करता हूँ कि सरकार दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को समुचित मुआवजा देगी।

संपादक

सांख्य दर्शन (अध्याय-1, सूत्र-109)

-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

सूत्रकार प्रसंगानुसार यहाँ अन्तिम हेतु प्रस्तुत करता है-

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च

अर्थ (च) और (कैवल्यार्थ) कैवल्य (मोक्ष) के लिए (प्रवृत्तेः) प्रवृत्ति से।

भावार्थ- कैवल्य का अर्थ मोक्ष है। इसे सांख्यदर्शन में 'अत्यन्त पुरुषार्थ' भी कहा है। प्रत्येक आत्मा दुःखों से बचना चाहती है। दुःख आदि द्वन्द्व प्रकृति के साथ सम्पर्क से प्राप्त होते हैं। इस स्थिति से बच जाना कैवल्य है अर्थात् प्रकृति के साक्षात् संपर्क से रहित केवल आत्मा की स्थिति। चेतन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही प्रकृति के साथ उसके संपर्क की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार जिसके कैवल्य (मोक्ष) के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति है, ऐसे चेतन के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अथवा दूसरे रूप में दुःखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है, अवश्य दुःखों से बचने के लिए जो प्रवृत्त होता है, अवश्य दुःखात्मक प्रकृति से अतिरिक्त उसका भी अस्तित्व होगा, वही चेतन आत्मा है। इन सब आधारों पर त्रिगुणात्मक अचेतन प्रकृति से भिन्न चेतन तत्त्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। इन सूत्रों का विशेष विवरण 'सांख्य सिद्धांत' के 'पुरुष' नामक प्रकरण के 'आत्मा नित्य मुक्त है' प्रसंग में किया गया है॥109॥

आत्म-तत्त्व तब चाहे चेतन हो, पर वह स्वतः सिद्धतत्त्व नहीं है, अपितु वह जड़ की ही एक विकसित अवस्था है।

दी हिबिस्कस,

बिल्डिंग-5, एपार्ट नं.-9बी

सेक्टर-50, गुड़गाँव (हरियाणा) 122009

फोन-0124-4948597

शिवरात्रि जब बोधरात्रि बन गई

-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

ऋषि बोधोत्सव का पर्व आर्यजगत् में आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण का पर्व है। इसी दिन देव दयानन्द को आत्मबोध हुआ था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इतिहास साक्षी है कि जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं से संवेदनशील व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हम प्रतिदिन रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखते हैं जिसका हमारे जीवन पर क्षणिक प्रभाव पड़ता है। परन्तु इन्हीं घटनाओं को देखकर महात्मा बुद्ध को वैराग्य हो गया और वे अपने राजपाट को छोड़कर वन की ओर चल पड़े। पेड़ों से फलों को धरती पर गिरते हुए किसने नहीं देखा परन्तु न्यूटन ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके पीछे छिपी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना। कितने ही भक्तों ने शिव मन्दिर में शिव की प्रतिमा पर चूहों को मिष्ठान्न का भोग लगाते देखा होगा परन्तु केवल मूलशंकर (देव दयानन्द) के मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या ये ही सर्वशक्तिमान, सच्चे महादेव शिव हैं? इस घटना से प्रेरित होकर किशोर मूलशंकर सच्चे शिव की खोज में अपनी प्यारी माता और पिता को छोड़ कर घर से निकल पड़े।

मूलशंकर सच्चे शिव की खोज में नर्मदा के तट पर घने जंगलों में, योगियों, मुनियों के आश्रमों में, पर्वतों, निर्झरों और गिरिकंदराओं में भटकते रहे। अलकनंदा के हिमखंडों से क्षतविक्षत होकर वे मरणासन्न तक हो गए परन्तु वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। चौबीस वर्ष की आयु में स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेकर वे दयानन्द बने। इनकी प्रेरणा से वे प्रज्ञा चक्षु दण्डी विरजानन्द के पास ज्ञानार्जन के लिए पहुँचे और साढ़े तीन वर्ष तक श्री चरणों में तप कर गुरु की प्रेरणा से मानव मात्र के कल्याण के लिए, वेदों के प्रचार तथा उद्धार के लिए एवं अज्ञान,

अंधकार और समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के निवारण के लिए कार्यक्षेत्र में उतर पड़े।

उस समय भारत में मुगल सम्राज्य का सूर्य अस्ताचल की ओर चला था। स्वामी दयानन्द भारत भू पर विदेशी प्रभुत्व से अत्यधिक क्षुब्ध थे जिसकी अभिव्यक्ति सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुल्लास में हुई है। वहाँ उन्होंने लिखा है कि “देश के लोग निष्क्रियता और प्रमाद में ग्रस्त हैं। लोगों में परस्पर विरोध का वातावरण है और विदेशियों ने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है इसलिए देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ रहे हैं। इस देश में सर्वत्र अज्ञान व्याप्त है। उस समय जनमानस कुरीतियों और अन्धविश्वासों से ग्रस्त था। अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नेस्तनाबूद करने के लिए मैकॉले की शिक्षा नीति लागू कर भारतवासियों में हीनभावना का संचार कर दिया था। निराश देशवासी पश्चिमी राष्ट्रों की भौतिक समृद्धि और चकाचौंध से अपने गौरवशाली अतीत, धर्म, संस्कृति, भाषा और जीवन के नैतिक मूल्यों से विमुख हो गए थे। इसलिए उन्हें पाश्चात्य जीवन-पद्धति के अनुकरण में ही अपना हित मालूम होता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में महर्षि ने आर्यसमाज की स्थापना करके जर्जर, निष्प्राण हिन्दू समाज में प्राण फूँकने का कार्य किया तथा उसकी धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू समाज में विकृत वर्णव्यवस्था को सुधारने, नारी जाति की दुर्दशा को देखकर उसमें शिक्षा का प्रसार करने तथा अछूतों व दलितों को हिन्दू समाज की मुख्यधारा में लाने और इस्लाम व ईसाइयत में हिन्दुओं के धर्मान्तरण को रोकने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य वेदों का उद्धार और प्रचार था। वे चाहते थे कि वेद का ज्ञान भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में पहुँचे। उन्होंने कभी भी स्वयं को सांप्रदायिक

मत मतान्तरों के संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं रखा। उनका कहना था कि वेदों का ज्ञान किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय या देश के लिए नहीं है अपितु संपूर्ण मानवजाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए उन्होंने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' अर्थात् संपूर्ण विश्व को आर्य अर्थात् श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। उनके लिए तो सारा संसार एक परिवार था। "वसुधैव कुटुम्बकम्" उनका आदर्श वाक्य था। उन्होंने मानवमात्र के कल्याण के लिए और धर्म के सच्चे स्वरूप के प्रकाश के लिए 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना की। यहाँ एक बात विशेष महत्त्व की है कि उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए सत्यार्थप्रकाश की रचना न तो अपनी मातृभाषा गुजराती में की और न ही संस्कृत में जिसके वे उद्भट विद्वान् थे। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश की रचना आर्यभाषा अर्थात् हिन्दी में की जिसका अधिकांश देशवासी व्यवहार करते हैं और वह देश को एकता के सूत्र में बाँध सकती है। उन्होंने अपने तैंतीस ग्रंथों की रचना भी हिन्दी में की।

भारतीय समाज को महर्षि के योगदान का उल्लेख करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने कहा "हम यह नहीं कहते कि दयानन्द को ही सारी क्रान्ति का श्रेय मिलना चाहिए, परन्तु हम यह अवश्य कह सकते हैं कि जिन शक्तियों और कारणों ने इस क्रान्ति को पैदा किया उनमें स्वामी दयानन्द सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के अधिकारी हैं।

स्वाधीनता संग्राम में लोकमान्य तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा बुलन्द किया। परन्तु इससे भी पूर्व जानते हैं कि नौरोजी भाई मुंबई में श्यामजी कृष्ण वर्मा के निवास स्थान पर आर्यसमाज के सत्संगों में सम्मिलित होते थे। उन्होंने वहीं 'सत्यार्थप्रकाश' से स्वराज शब्द ग्रहण किया।

महात्मा गाँधी ने महर्षि के बारे में कहा था कि वे हिन्दुस्तान

के आधुनिक ऋषियों, सुधारकों, श्रेष्ठ पुरुषों में से एक थे। उनका ब्रह्मचर्य, विचार स्वतंत्रता, सर्वप्रति प्रेम, कार्यकुशलता आदि गुण सभी को मुग्ध करते थे। उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत पड़ा है।

योगिराज अरविन्द ने दयानन्द का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है, “उन विलक्षण महापुरुषों की पंक्ति में जो भावी पीढ़ियों को भारतीय पुनर्जागरण के शीर्षस्थान पर दिखाई देगा, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो अपनी अनोखी विशिष्टता के कारण सबसे अलग दिखाई पड़ेगा।

सरदार घटेल ने स्वामी जी के बारे में कहा था कि स्वामी दयानन्द जी के राष्ट्रप्रेम, उनके क्रान्तिकारी हृदय, उनके ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन का मैं सदा उपासक रहा हूँ। समाज की सभी कुरीतियों और बुराइयों के विरुद्ध उन्होंने क्रान्तिघोष किया। यदि स्वामी जी न होते तो हिंदू समाज की क्या हालत होती, इसकी कल्पना करना कठिन है।

इस महा शिवरात्रि के पर्व पर हर राष्ट्रभक्त देशवासी का कर्तव्य है कि वह ऋषि के जीवन से प्रेरणा ले कर महर्षि के द्वारा आरंभ किए कार्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर कटिबद्ध हो जाए। हमें देश में विशेष रूप से स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए तथा उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समाज में दलित वर्ग एवं पिछड़े भाइयों को गले लगा कर उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना चाहिए। यही हमारी महर्षि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

दी हिबिस्कस बिल्डिंग-5,
एपार्ट.9/बी सेक्टर-50
गुरुग्राम-120018 (हरि.)
मोबाइल-9910923236

वे बलिदानी स्वाभिमानी हिन्दू थे

-शिवकुमार गोयल

प्राचीनकाल से ही हिन्दुओं का इतिहास धर्म तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग (बलिदान) का आदर्श उपस्थित करता रहा है। जब कभी उनके धर्म को आघात पहुँचाया गया, वे आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर हो उठे। विदेशी-विधर्मी मुसलमानों के शासन-काल में पग-पग पर हिन्दुओं को धर्म त्यागकर इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य करने के प्रयास किये गये। इतिहास के असंख्य पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं कि हिन्दुओं ने प्राणोत्सर्ग करना स्वीकार किया; किन्तु अपने प्राणप्रिय हिन्दू धर्म को आँच नहीं आने दी। राजस्थान तथा पंजाब ऐसे प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, जहाँ के अगणित हिन्दू स्त्री-पुरुषों ने प्राण-समर्पित करके भी अपने स्वाभिमान की रक्षा की। अंग्रेजों के शासनकाल में भी मुसलमान 'जेहाद' के नाम पर निरपराध हिन्दुओं का कत्लेआम करने से बाज नहीं आये। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उनके मजहब में तर्कों तथा मत-भिन्नता का कोई स्थान नहीं है। मुसलमानों ने भारत को 'दारुल इस्लाम' बनाने के लिए हिन्दुओं के धर्मान्तरण का कार्य निरन्तर जारी रखा। आर्यसमाज ने हिन्दुओं को धर्मान्तरित कर ईसाई-मुसलमान बनाये जाने के खतरों को भाँपकर शुद्धि-अभियान शुरु किया। मुसलमान यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनके धर्मान्तरण के कार्य में कोई बाधा डाले।

स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा वैदिक धर्म के परम उपासक पण्डित लेखराम झेलम जिले के गाँव सय्यदपुर में सन् 1858 में श्री तारासिंह मेहता के पुत्र के रूप में जन्मे, वैदिक हिन्दूधर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले युवक थे। युवावस्था में ओजस्वी वक्ता थे। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रचारक के रूप में जगह-जगह पहुँच कर वैदिक (हिन्दू) धर्म के महत्त्व पर

प्रवचन करते तो श्रोता मन्त्रमुग्ध हो उठते थे। पण्डित लेखराम जी वैदिक धर्म पर आक्षेप करने वाले मुल्ला-मौलवियों तथा ईसाई पादरियों को मुँहतोड़ उत्तर देने में दक्ष थे। लाखों की उपस्थिति में शास्त्रार्थों में वे वैदिक धर्म विरोधियों को पराजित कर पूरे देश में शास्त्रार्थ-महारथी के रूप में ख्याति अर्जित कर चुके थे।

अहमदिया सम्प्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के समर्थक चमत्कारों की झूठी अफवाहें फैलाकर भोले-भाले हिन्दुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए थे। पण्डित लेखराम एक दिन कादियाँ जा पहुँचे। उन्होंने नबी को ललकारा कि वह उन्हें चमत्कार दिखाये। कथित नबी वहाँ से भाग गया। पण्डित लेखराम जी ने जगह-जगह पहुँचकर छल-छिद्र तथा आतंक के बल पर मुसलमान बनाये गये असंख्य हिन्दुओं को शुद्ध कर पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित किया। स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ उन्होंने जगह-जगह भ्रमण कर हिन्दू वैदिक धर्म की विजय पताका फहरायी। मजहबी उन्मादी मुसलमान यह सहन नहीं कर पाये कि कोई बाधा डाले। शास्त्रार्थों तथा तर्कों में उनसे मात खा चुकने के बाद मजहबी उन्मादियों ने छुरे का सहारा लिया तथा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के एक धर्मान्ध अनुयायी मुस्लिम गुण्डे ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। 6 मार्च, 1897 ईस्वी को धर्मवीर कर्मवीर पण्डित लेखराम ने हुतात्मा पद प्राप्त किया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने हिन्दू जनता को अपना सन्देश देते हुए कहा-तहरीर और तकरीर (लेखन और भाषण) का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए।

स्वामी श्रद्धानन्द जी एक महान् शिक्षाविद्, स्वतन्त्रता सेनानी तथा पुरानी पीढ़ी के महान् समाज सुधारकों में अग्रणी विभूति थे। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) की स्थापना कर उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनर्स्थापित किये जाने

में अहम भूमिका निभाई थी। स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए एक बार स्वामी जी ने दिल्ली में अंग्रेजों की बन्दूकों के समक्ष सीना तानकर निर्भीकता का परिचय दिया था। स्वामी जी कांग्रेस के भी अग्रणी नेताओं में से थे। बाद में उन्होंने गाँधीजी तथा कांग्रेस द्वारा खिलाफत आन्दोलन के समर्थन तथा मुस्लिम तुष्टिकरण की घातक नीति के कुपरिणामों की अनुभूति कर हिन्दू संगठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मजहबी उन्मादी मुसलमानों के धर्मान्तरण के सुनियोजित षड्यन्त्र को विफल करने के लिए शुद्धि अभियान शुरू किया। महात्मा हंसराज सरीखी विभूति का उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त था। सन् 1921 में स्वामी जी ने आगरा-अलवर क्षेत्र के राजपूतों से धर्मान्तरित किये गये मलकाने मुसलमानों को वैदिक धर्म के महत्त्व से अवगत कराकर उनकी शुद्धि की तथा उन्हें पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित करने में सफलता पाई।

गाँधी जी द्वारा खिलाफत आन्दोलन का खुला समर्थन किये जाने के कारण मुसलमानों ने संगठित होकर स्वामी श्रद्धानन्द जी के शुद्धि अभियान का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेसी मुसलमान नेताओं ने इसे हिन्दू-मुस्लिम एकता में बाधा बताकर गाँधीजी के कान भरने शुरू कर दिये। हिन्दू-मुस्लिम एकता की मृगमरीचिका में फँसी कांग्रेस ने स्वामी जी को सन्देश भेजा कि वे शुद्धि अभियान में भाग न लें। स्वामी जी ने जवाब दिया कि क्या कांग्रेस मोहम्मद अली, शौकत अली आदि कांग्रेसी नेताओं को तबलीग (हिन्दुओं के धर्मान्तरण) का विरोध करने को कहेगी? उन्होंने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

स्वामीजी के शुद्धि अभियान से चिढ़कर पहले उन्हें धमकियाँ दी गईं। 23 दिसम्बर, सन् 1926 को दिल्ली नया बाजार में

स्वामीजी के कमरे में अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी पहुँचा। स्वामीजी बीमार थे। उसने पानी माँगा। स्वामीजी के संकेत पर उसे पानी पिलाया गया। पानी पीते ही उसने पिस्तौल निकाली तथा स्वामीजी पर गोलियाँ दाग दी; उनकी हत्या कर डाली। सबसे दुःखद् पहलू यह है कि छद्म धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदार कांग्रेस तथा गाँधीजी ने एक महान् विभूति की नृशंस हत्या के विरोध में मुस्लिम कट्टरपंथ की आलोचना करने की सहृदयता तक नहीं दिखायी। उल्टे गाँधी ने परोक्ष शब्दों में 'यंग इण्डिया' में लिख मारा 'द्वेषाग्नि भड़काने के लिए हिन्दू भी दोषी हैं'।

इस्लाम में सहनशीलता का कोई स्थान नहीं है। इसका ज्वलन्त प्रमाण है लाहौर के प्रमुख आर्यसमाजी विद्वान तथा प्रकाशक महाशय राजपाल जी का बलिदान।

महाशय राजपाल जी स्वामी दयानन्द सरस्वती, आर्यसमाज तथा वैदिक हिन्दूधर्म के निष्ठावान व निर्भीक सेनानी थे। उन्होंने स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' का उर्दू अनुवाद कराकर प्रकाशित किया। मुल्ला-मौलवियों ने आरोप लगाया कि 'सत्यार्थप्रकाश' में स्वामी दयानन्द ने चौदहवें समुल्लास में इस्लाम की आलोचना की है। प्रकाशक महाशय राजपाल ने उसे उर्दू में छापकर इस्लाम का अपमान किया है। उन्हें जेल में डाला जाये। इन्हीं दिनों लाहौर में मुसलमानों ने 'कृष्ण-तेरी गीता जलानी पड़ेगी' जैसे शीर्षक से आपत्तिजनक पोस्टर व पुस्तिकाएँ छपवाकर बँटवाईं। स्वामी दयानन्द जी पर अनर्गल आरोपों वाले पैम्पलेट छपवाये गये। महाशय जी का हिन्दू स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने किन्हीं लेखक की लिखी 'रंगीला-रसूल' पुस्तक अपने प्रकाशन से प्रकाशित कर दी। उसके प्रकाशित होते ही मुसलमानों में हड़कम्प मच गया।

मुसलमानों ने 'रंगीला रसूल' पुस्तक के प्रकाशन को लेकर

महाशय राजपाल जी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया। 26 दिसम्बर 1924 को आर्यसमाजी संन्यासी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी तथा स्वामी वेदानन्द जी की उपस्थिति में महाशयजी पर छुरे से हमला किया। कुछ महीने बाद वे ठीक हो गये। लाहौर की अदालत ने वर्षों तक चले मुकदमे के बाद महाशय जी को निर्दोष घोषित कर दिया। अन्ततः 6 अप्रैल 1929 को इलामुद्दीन नामक एक जुनूनी मुस्लिम गुण्डे ने उनकी हत्या कर डाली।

महाशय राजपाल जी की हत्या से लाहौर में सनसनी फैल गयी। लाखों हिन्दुओं ने उनकी अन्त्येष्टि में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गाँधी जी ने इस मामले में भी अपनी मुस्लिम-परस्त नीति का परिचय देते हुए महाशय जी को ही आपत्तिजनक पुस्तक छापने का दोषी ठहरा डाला। वीर सावरकर जी ने उस समय लिखा- 'मुसलमानों द्वारा राजपाल जी के हत्यारे को गाजी बताये जाने पर गाँधी जी मौन रहे; किन्तु महाशय जी को धर्मवीर बताये जाने पर उनकी समाधि खुल गई। वे महाशय जी जैसे स्वाभिमानी हिन्दू को ही दोषी होने का फतवा देने से बाज नहीं आये। इन्हीं अमर बलिदानी महाशय राजपाल जी के पुत्र दिल्ली के शीर्षस्थ प्रकाशक 'राजपाल एण्ड संस' के नाम से पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय के संचालक बन गए।

मुगल शासनकाल तथा अंग्रेजों के शासनकाल में जिन हिन्दू स्वाभिमानियों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किए, उनकी संख्या असीमित है। भारत विभाजन के दौरान तो लाखों -लाखों हिन्दू स्वाभिमानियों ने पूरे परिवार के साथ धर्मरक्षार्थ प्राणोत्सर्ग किया। उस समय की घटनाओं को पढ़कर हृदय काँप उठता है।

भक्त रामशरणदास भवन, बीचपट्टी,
पिलखुवा, गाजियाबाद

जरूरी है न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा (सरकार की गड़बड़ियों के कारण ही जुडिशरी की सक्रियता बढ़ी है)

—सुधांशु रंजन, टीवी पत्रकार

पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि न्यायपालिका 'कदम दर कदम, ईट दर ईट' विधायिका को ध्वस्त कर रही है जो भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने जुडिशरी को लक्ष्मण रेखा न लाँघने की सलाह दी। विपक्ष के भी कई नेताओं ने इससे सहमति जताई और जुडिशरी द्वारा हो रहे 'आक्रमण' से बचने के लिए सांसदों के बीच एकता की जरूरत पर बल दिया। सरकार और विधायिका में एक-दूसरे के प्रति ऐसा असंतोष नया नहीं है। जुडिशरी पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल कर काम करने का आरोप कई दशकों से लग रहा है। 1996 में कुछ सांसदों ने राज्य के विभिन्न अंगों के क्षेत्राधिकार पर बहस करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की माँग की थी। दिसंबर 2006 में संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इस पर विस्तृत चर्चा भी हुई थी। सांसदों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि 3 दिसम्बर 2007 को लोकसभा में इस विषय पर हंगामेदार भाषण हुए और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए जुडिशरी की तीखी आलोचना की।

उधर भी असंतोष

दूसरी तरफ न्यायपालिका भी दुखी है। उसे लगता है कि सरकार उसे नियंत्रित करना चाहती है। 23 अगस्त 2005 को भारत के मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी ने अटॉर्नी जनरल को तलख शब्दों में कहा, 'हमें बताइए, हम अदालत बंद कर दें और तब जो मर्जी हो आप करें'। अदालत के गुस्से का कारण था सरकार द्वारा दी गई सलाह कि निजी व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण जैसे भावनात्मक राजनीतिक मसलों से अदालत अपने को अलग रखे। फिर भी 8 अप्रैल 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजों के एक सम्मेलन में कहा कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक में विभाजन रेखा बड़ी पतली है। और कई बार परमादेश (मैंडामस) के नाम पर अदालत कार्यपालिका के काम करने लगती है। वहाँ मंच पर बैठे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल किसी कानून तथा कार्यकारी निर्णय की संवैधानिकता को परखने के लिए किया जाता है जिससे विधायिका और न्यायाधीशों के बीच तनाव होता है जो स्वाभाविक है और कुछ हद तक वांछनीय भी है। न्यायमूर्ति बालाकृष्णन ने बिल्कुल सही कहा किंतु यह तनाव एक हद तक ही वांछनीय है। सुप्रीमकोर्ट और हाई कोर्ट जिस प्रकार सरकार तथा विधायिका को निर्देश दे रहे हैं, वह लोकतांत्रिक ढाँचें पर कुठाराघात है। बैरन डि मॉन्टेग्यू ने सत्ता के विभाजन की आवश्यकता के बारे में लिखा है कि यह निरंकुशता को

रोकने के लिए है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ यदि एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएँगी तो वह निरंकुश हो जाएगा। न्यायाधीश व्याख्या के जरिए कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्ति अपने हाथों में ले ले तो निस्संदेह खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के बारे में एक कानून बना दिया कि कॉलेजियम उनकी नियुक्ति करेगा। संविधान में कॉलेजियम का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह उसने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीन लिया और एक नया कानून बना दिया जो विधायिका का कार्य है। संसद ने इसे बदलने के लिए 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया जबकि संसद तथा 20 राज्यों की विधानसभाओं ने इसे निर्विरोध पारित किया था।

हाल में उत्तराखंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाल किए बगैर शक्ति परीक्षण के लिए दो घंटे, राष्ट्रपति शासन उठाकर वहाँ इतने समय के लिए संवैधानिक शून्य की स्थिति पैदा कर दी। ईश्वर ही जानता है कि उन दो घंटों में सरकार की कमान किसके हाथों में थी। अदालत ने स्पीकर की भूमिका को भी निरस्त कर दिया। पूरा शक्ति परीक्षण अदालत द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों की देखरेख में हुआ जबकि विधानसभा के क्षेत्र में अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। अदालत का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 212 का खुला उल्लंघन था जो कहता है कि विधायिका की कार्यवाही की वैधता को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी और विधानसभा का कोई अधिकारी या सदस्य जिसे संविधान के तहत कार्य संचालन का अधिकार प्रदत्त है, किसी अदालत के सामने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। किसी संस्था को केवल इसीलिए ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ गई हैं। उसमें सुधार की जरूरत हो सकती है लेकिन उसे पूरी तरह गिराना और भी बुरा होगा। हैबियस कॉर्पस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कड़ी आलोचना हुई जिसमें उसने आपातकाल के दौरान जीवन का अधिकार खत्म किए जाने को संवैधानिक ठहराया था। पर इसे आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा देने की बात कहना गलत होगा।

बढ़ता गया दायरा

अरुण जेटली ने सांसदों से निवेदन किया कि कर लगाने तथा बजट बनाने का अधिकार वे जुडिशरी को न सौंपें। लेकिन यह अधिकार भी उसने प्राप्त कर लिया है। ग्रीन टिब्यूनल ने दिल्ली से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर कर लगाया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। यह संविधान के अनुच्छेद 265 के विपरीत है जो कहता है कि कानून के बिना किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जेफर्सन ने कहा था कि न्यायिक सक्रियता संविधान को मोम का लौंदा बना देती है जिसे जज को शूलक देना चाहें, दे दें। भारतीय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जुडिशरी तीसरा सदन नहीं हो सकती। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है।

आरक्षण से समाज व देश की हानि

-मनुदेव 'अभय' विद्यावाचस्पति

विगत कुछ दशकों से देश में एक नए वर्ग संघर्ष के रूप में आरक्षण आन्दोलन प्रारंभ हुआ। संविधान द्वारा प्रारंभ में यह मात्र दस वर्ष के लिए निर्धारित था। किन्तु ज्यों-ज्यों पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों आरक्षण की अवधि भी बढ़ती चली गई। किन्तु जब वी. पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तथा मंडल आयोग की रपट का क्रियान्वयन कठोरता पूर्वक किया जाने लगा, तभी से 'आरक्षण' की व्यवस्था का विकृत रूप सामने दिखलाई पड़ने लगा। भारतीय समाज में 'आरक्षण' का कैसर ऐसा लग चुका है कि इसके द्वारा होने वाले दूरगामी परिणाम सामाजिक रचना को छिन्न-भिन्न होने का संदेह होने लगा है।

सप्रति देश में शासकीय क्षेत्र में आरक्षण का बड़ा बोलबाला है। कतिपय समाजशास्त्रियों की सम्मति में निम्न वर्गों को ऊपर उठाने हेतु प्रत्येक कार्य तथा क्षेत्र में 'आरक्षण' दिया जाना अत्यावश्यक है। सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए समाजोत्थान बहुत आवश्यक है। इसके लिए जाति, धर्म और वर्ग के नाम या आधार पर उन्हें अनिवार्यतः भागीदार बनाया जाना चाहिए। समाज में कुछ बुद्धिजीवियों, विशेषकर राजनीति में रुचि रखने वालों का अभिमत है कि जाति और वर्ग के नाम पर 'आरक्षण' का कार्य सतत चलते रहना चाहिए। इसी का यह परिणाम सामने है कि शासकीय नियुक्तियों में आरक्षण के आधार पर दिन-प्रतिदिन अनुसूचित जाति तथा जनजाति की सूची खरब की डोर के समान लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। इसका कुपरिणाम अब हमारे सामने है। अब जातीय आधार पर राजनीतिक नेतृत्व तथा धड़ेबाजी के कारण देश तथा समाज में जातीय विद्वेष, विघटन, दुराव आदि असामाजिक तत्त्व तीव्रगति से फलने-फूलने

लगा है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा राष्ट्रीय प्रतिभाओं को भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय प्रतिभाओं का भारी संख्या में विदेश पलायन हो रहा है। यह एक महान राष्ट्रीय क्षति है। इससे राष्ट्र भयंकर पीड़ा और संत्रास झेल रहा है। इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि अयोग्यता अब योग्यता को लातें मार-मार कर पीछे धकेलने लगी है। सत्यपात्रों का अपात्रों के सम्मुख कोई मूल्य नहीं है। अपूज्यों की पूजा तथा अपात्रों की आरती उतारी जा रही है। मानों सामाजिक समरसता तथा समाज सुधार के नाम पर प्रतिभा शक्तियों तथा विद्वानों की उपेक्षा कर उनकी अवमानना खुलेआम की जा रही है। अस्थायी लाभों के लिए अयोग्य तथा मन्द बुद्धि के अकुशल तत्त्वों को जानबूझकर सम्मानित किया जा रहा है। यदि ऐसी ही कुव्यवस्था कुछ समय तक चलती रही तो राष्ट्र में सामाजिक विघटन की प्रक्रिया तीव्र गति पकड़ लेगी जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगी।

समाजोद्धार, समाज सुधार तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने के नाम पर जिन्होंने भी यह 'आरक्षण' नामक तत्त्व की खोज की है वे कितने अपरिपक्व तथा भारतीय समाज के आधारभूत सिद्धान्तों से अपरिचित हैं, इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। समाज के अशिक्षित, सुसंस्कारी तथा समाज हितचिन्तक भली-भाँति जानते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, विज्ञान आदि अनेक कला एवं विज्ञानों के क्षेत्र में बौद्धिक प्रतिभा तथा कठोर श्रम अपेक्षित होता है। इन सभी विधाओं के समग्र प्रयासों से ही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विकास होकर राष्ट्र की उन्नति होती है। इसी से सामाजिक विकास अपनी सही राह पकड़ पाता है।

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी देश की उन्नति में उसी देश के नागरिकों का संयुक्त उत्तरदायित्व निहित रहता

है। उनकी ही सामूहिक सहभागिता पर राष्ट्रोत्थान के प्रयास निहित होते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज से कुछ शताब्दियों पूर्व अर्वाचीन काल में जिन लोगों ने कुछ सामाजिक भूलें कीं, उनका बदला वर्तमान पीढ़ी के लोगों से लेना, यह कहाँ तक न्यायोचित है? जिन लोगों ने धार्मिक तथा सामाजिक ग्रंथों की रचना कर मानव जाति के एक अंग के साथ अन्याय, शोषण तथा भेदभाव की भावनाएँ स्थापित कीं, वर्तमान में उनके वंशधरों से प्रत्याशित और घृणापूर्ण व्यवहार करना कहाँ मानवोचित है? पूर्वकाल के शोषकों की पीढ़ियों से कथित शोषितों का अवमाननापूर्ण व्यवहार मनुष्यता के लिए कलंक के समान है।

हम 70 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हो चुके हैं। अब न कोई शोषक है और न कोई शोषित। हम सब समान नागरिक आचार संहिता के अनुसार जीवन-यापन करने योग्य हो गए हैं। अब तो प्रत्येक को उसकी योग्यता, क्षमता तथा सामर्थ्य के अनुसार समाज में स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आधी शताब्दी व्यतीत हो जाने पर भी हम अपने पुराने व्यवहारों को नहीं बदलेंगे तो संविधान, राष्ट्र और समाज के साथ न्याय न कर सकेंगे। अब तो यह महसूस होने लगा है कि 'आरक्षण' समाज के विकास में साधक के स्थान पर बाधक होने लगा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के अन्य स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्रों के समान हमारे यहाँ भी जातीय आधार को छोड़कर समस्त नागरिकों, समुदायों आदि को एक साथ लेकर विकास की ओर कदम बढ़ाएँ। अब राष्ट्र नायकों को छोटे-छोटे जातीय कुल्हड़ों को फोड़कर समग्र और सामूहिक सामुदायिक शक्ति संचित कर राष्ट्र के विकास में सहयोग देने में तत्पर हो जाना चाहिए। अन्यथा आगामी पीढ़ियाँ हमारी मूढ़ता और संकीर्णता को सदैव धिक्कारती रहेंगी। किसी भी योग्यतम व्यक्ति को जाति के घेरे में बाँधकर या सीमित कर पुरस्कृत करना मानों

उसका और आगामी पीढ़ी का अपमान करना है। किसी योग्य व्यक्ति को उसकी जन्मना जाति के कारण उसकी प्रगति में रोड़े अटका कर उसकी उपेक्षा या अवमानना करना कहाँ तक मानवोचित कहा जा सकता है? यदि प्रतिभाओं को जन्मना जाति की फाँस में फँसाने का प्रयत्न किया गया तो फिर उसके पलायन करने तथा योग्यता द्वारा राष्ट्रहित करने की भावना का नाश करना क्या मानवाधिकार की दृष्टि से उचित कहा जाएगा? इससे उस प्रतिभा में आत्मग्लानि और हीन मनोवृत्तियों का उदय होगा जो कि समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टि से आरक्षण विकास का साधक न रहकर बाधक ही सिद्ध होगा।

भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के अनुसार समाज रचना में कहीं भी जन्म के आधार पर श्रम विभाजन की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय संस्कृति के मतानुसार जन्म से सभी मानव संतान हैं और युवा होने पर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार उनका सामाजिक समायोजन होता है। खेद है कि अर्वाचीन काल (मध्य युग) में विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों तथा सामाजिक विघटन के कारण तत्कालीन समाज नायकों ने जन्म के आधार पर जातियाँ निर्धारित कीं। सम्भव है, उस युग की यह आवश्यकता हो जो कि अवैदिक थी। सम्प्रति, राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है, समान नागरिक संहिता का युग है, ऐसी स्थिरता में आपातकालीन अवैदिक समाज व्यवस्था समाप्त होकर समाज के लोगों को गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समान उन्नति का अवसर दिया जाना गौरवपूर्ण होगा। इससे न तो बौद्धिक प्रतिभाओं का पलायन होगा और न जातीय विद्वेष की भावनाएँ ही फैलेंगी।

यह एक सुखद पहलू है कि कुछ विवेकशील राष्ट्रनेता आरक्षण तथा जातिवाद का विरोध तो करते हैं किन्तु

स्वार्थवश उसका समर्थन भी करने लगते हैं। यह दोहरा चरित्र समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसे सबसे अधिक हानि आरक्षित समुदाय अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही हो रही है। यह देखकर अत्यन्त दुःख होता है कि 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, भगवानदास, राजा राममोहन रॉय, विद्यासागर, महात्मा गाँधी व महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ने जिस जातिवाद की जड़ में मुट्ठा डालकर नष्ट किया था। देश के कुछ क्षुद्र मनोवृत्ति के नेताओं के केवल सत्ता सुख भोगने के लिए इस राष्ट्र को पुनः जातिवाद के गर्त में धकेल दिया। ऐसे नेताओं की सोच न तो भारतीय और न भारतीय समाजशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुरूप है। उन पर तो भौतिकवादी भोगवादी पाश्चात्य दर्शन हावी था। इसके साथ पंथ-निरपेक्षवाद बनाम धर्म-निरपेक्षता के पाखण्ड ने देश से नैतिकता को झाड़ कर बाहर कर दिया। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि आज चुनाव आयोग देश में प्रश्न कर रहा है कि क्या विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र की भारतीय संसद के लिए 543 ईमानदार, नैतिक तथा देशभक्ति से ओतप्रोत सांसद मिल सकेंगे?

जातीय आरक्षण के नाम पर योग्यता और प्रतिभा की जानबूझ कर उपेक्षा कर डॉक्टर, इंजीनियर, विमानन तथा अन्य लोक महत्त्व के पदों पर जिन्हें सुशोभित किया जा रहा है, ऐसे कथित योग्यता वाले लोगों से देश तथा समाज का हित होना सम्भव नहीं। इनकी अयोग्यता का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आरक्षण की हिमाकत करने वाले बड़े-बड़े राजनयिक एवं राजनेता रुग्ण होने पर स्वयं इन कथित योग्यता वाले आरक्षित डॉक्टरों से उपचार नहीं कराते क्योंकि वे इनके खोखलेपन को खूब जानते हैं।

आतंकवाद का समर्थन करने वाले भी आतंकवादी

—डॉ. वेद प्रताप वैदिक

[जो गोधरा जैसी घटनाओं में यकीन रखते हैं, उनका सामना गुजरात की प्रतिक्रिया से नहीं हो सकता। कंधमाल जैसी प्रतिक्रिया से भी समाधान नहीं निकलेगा। ये तो देश के समक्ष मुश्किलों को और बढ़ा देंगे। हमें इतिहास से सबक सीखना होगा। हिन्दुस्तान के कितने ही भयावह आक्रमणों की धार अपनी बुद्धि और धैर्य से कुन्द की है। हिन्दुओं ने कभी निर्दोषों का रक्त नहीं बहाया, इस विशिष्टता को बनाए रखकर ही आतंकवाद से लड़ाई का रास्ता हमें तय करना है।]

हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी माँगों को मनवाने के लिए हिंसक गस्ते का अनुसरण अक्सर समस्याओं को और पेचीदा बना देता है। आतंकवाद का चेहरा हिंसक और दानवी है इसीलिए इसका कड़ाई से दमन करना राज्य की मजबूरी है। किन्तु कभी-कभी इस प्रक्रिया में कुछ खास वर्गसमूह के प्रति अन्याय भी होने लगता है। इसके प्रतिकार की भावना भी जन्म लेने लगती है। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा-प्रतिहिंसा में राज्य की ओर से की गई कार्रवाई भी हिंसक ही रहती है। पर इससे समाधान तो नहीं निकलता।

आतंकवाद को कुचलने के लिए हमारा रवैया क्या हो, इस पर सभी को मिलकर सोचना चाहिए। इसके समाधान के लिए राज्य का, मीडिया का, समाज का, सामाजिक संगठनों का दृष्टिकोण और रणनीति क्या हो इस पर विचार जरूरी है। आतंकवादी अपने समाज, अपने गाँव से निकलने लगे हैं, यह चिंता का विषय है। पहले तो माना जाता था कि ये आतंकवादी विदेशी हैं, भाड़े के टट्टू हैं पर अब स्थिति बदल चुकी है। जो अपने ही देश के हैं, जिनकी नागरिकता

भारतीय है, जो आतंकवाद में लिप्त हो गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम विदेशी आतंकवादियों की भाँति व्यवहार नहीं कर सकते। हमें ऐसे आतंकवादियों और उनकी भावनाओं से संवाद करना चाहिए। आज तो संवादहीनता की स्थिति बन गई है। आज तो जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए आतंकवादियों के हिमायती बने दिखते हैं, संवाद का साहस तो उनमें भी नहीं है। सीधी बातचीत आतंकवादियों से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से समस्या के समाधान-निदान की ओर हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। समाज के कुछ वर्गों में यदि किन्हीं कारणों से क्रोध पनपा है, गुस्सा है तो उन्हें समझने का प्रयास गलत नहीं कहा जा सकता, हाँ उनका अंध समर्थन, उनकी हिंसक कार्रवाई को झुठलाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए।

आतंकवादी घटनाओं के प्रति सरकार को सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी अन्यथा देश में अराजकता फैल जाएगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बटला हाउस कांड को बिना किसी प्रमाण के 'फर्जी' कहा गया, इंस्पेक्टर मोहन चन्द शर्मा के बलिदान को संदेहास्पद बताया गया। ये बातें राष्ट्र विरोधी हैं। यह संवाद कायम करने का तरीका भी नहीं है। मीडिया, बुद्धिजीवी और राजनेता जो इस राष्ट्रविरोधी हरकत के समर्थन में बोलते हैं, वे वास्तव में समाज विरोधी हैं, समाज के दुश्मन हैं। साधारणतया समाज ऐसे तत्वों को वजन भी नहीं देता।

एक-जिहादी आतंकवादी से निपटने के समय जानबूझकर ये बुद्धिजीवी हिन्दू आतंकवाद का मुद्दा ले आते हैं जबकि ऐसी कोई चीज देश में है नहीं। बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद् को सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ा किया जा रहा है, यह तो हद दर्जे की मूर्खता है।

बात ऐसे तत्वों को जरूर समझनी चाहिए कि आतंकवादियों

का समर्थन कर वे समाज की नजरों में अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। टी.वी. या अखबार के लोग, पत्रकार समझे कि समाज का अपना चिन्तन भी होता है, वह अपनी बुद्धि से तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष भी निकालता है और आज का सच यही है कि समाज राष्ट्रविरोधियों के षड्यंत्रों को समझने लगा है। मीडिया उसे ज्यादा भरमाकर नहीं रख सकता। बटला हाउस कांड के बाद वस्तुतः जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीरुल हसन और अन्य बुद्धिजीवियों को चाहिए था कि वे आतंकवादियों से मिलकर सच जानने की कोशिश करते। हमें इतिहास से, सबक सीखना होगा। हिन्दुस्तान ने कितने ही भयावह आक्रमणों की धार अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से कुंद की है। हिन्दुओं ने कभी निर्दोषों का रक्त नहीं बहाया है, इस विशिष्टता को बनाए रखकर ही आतंकवाद से लड़ाई का रास्ता हमें तय करना है। आतंकवाद को काबू करना, उसका दमन-शमन करना भारतीय राज्य के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद का दमन आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह देश के भविष्य से जुड़ा मसला है। देश का आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक विकास और सद्भाव सभी कुछ आज आतंकवाद ने दाँव पर लगा रखा है। अगर यह शीघ्र नहीं सुलझा तो जो आरोप सेकुलर लोग हिन्दुओं पर, हिन्दू संगठनों पर लगाते आ रहे हैं। वे कहीं न कहीं सच बनकर प्रकट होने लगेगा। क्योंकि जब राज्य समाज की रक्षा में असमर्थ होता है तो समाज अपनी रक्षा का प्रबंध खुद ही करने लगता है। इसमें किसी संगठन आदि की जरूरत भी समाज को नहीं पड़ेगी। इतिहास गवाह है, लोग स्वयं कानून अपने हाथ में लेने लगेगे। तब स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। इसलिए हम सभी को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध साझी कार्रवाई पर विचार करना चाहिए।

पांचजन्य से साभार

सही जानकारी प्राप्त करना पाठक का अधिकार है (संपादक श्री नारायणदत्त के प्रति साभार)

—विश्वनाथ सचदेव

[नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट के संपादक रहे श्री नारायणदत्त उस पत्रकारिता का हिस्सा नहीं थे जिसे अक्सर मुख्यधारा की पत्रकारिता कहा जाता है। लेकिन उनके सिखाये-समझाये पत्रकारों की एक अच्छी खासी जमात देश भर में दैनिक समाचार पत्रों से जुड़ी हुई है।]

गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा पाए श्री नारायणदत्त ने पत्रकारिता की शुरुआत 'स्क्रीन' से की थी। वह संयोग ही है कि तब उनके बड़े भाई एच वाई शारदा प्रसाद इंडियन एक्सप्रेस में समाचार संपादक थे और मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता का उदाहरण बने हुए थे। श्री नारायणदत्त जी ने अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा था। पर वे जानते थे कि दैनिक पत्रकारिता उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं थी। 'नवनीत' हिंदी डाइजेस्ट के संपादक रतनलाल जोशी ने उन्हें अपनी पत्रिका में बुला लिया। वहीं 1967 में वे संपादक बने और 1980 तक इस पत्रिका से जुड़े रहे। इन तेरह वर्षों में उन्होंने न केवल इस मासिक को अन्यतम ऊँचाई दी बल्कि आदर्श पत्रकारिता का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस दौरान नवनीत हिंदी की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक थी। नवनीत छोड़ने के बाद वे कुछ दिन 'धर्मयुग' से भी जुड़े और फिर पीटीआई की हिंदी फीचर सर्विस प्रारंभ करने चले गए। विभिन्न विषयों पर सुसंपादित लेखों की उपलब्धता ने तब हिन्दी समाचार पत्रों की एक बड़ी कमी पूरी की थी।

पत्रकारिता को उन्होंने हमेशा लोक-शिक्षण का साधन माना। उनका मानना था कि पत्र-पत्रिकाएँ मानसिक क्षुधापूर्ति का माध्यम भर नहीं है। उनके लिए यह भी पर्याप्त नहीं था कि पाठक को यह दिया जाए जो वह चाहता है। वे यह विश्वास करते थे कि पत्रकारिता का काम पाठक को वह बताना है उसे जानना चाहिए। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि पत्रकारिता का लक्ष्य है अपने श्रोता/पाठक को सफल

संवेदनशील और सजग नागरिक बनाना है। इन्हें इस बात की पीड़ा रहती थी कि आज व्यावसायिकता के दुराग्रह ने पत्रकारों में यह भाव पनपने का अवसर ही नहीं रहने दिया है। दुबली पतली काया वाले श्री नारायणदत्त जी की शारीरिक भूख भले ही दो कटोरी चावल-दही खाकर भर जाती हो, पर जानने की उनकी भूख शायद ही कभी भरती थी। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने इतिहास और राजनीति में विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त की थी, पर शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसके बारे में जानने की उन्हें भूख न हो। मेरा उनसे पाँच दशक का परिचय रहा। इस दौरान मैंने उन्हें कभी पुस्तक के बिना नहीं देखा। याददाश्त भी उनकी कमाल की थी। बंगलुरु से फोन करके उन्होंने कई बार मुझे बताया कि फलां पुस्तक भवन के पुस्तकालय में फलां अलमारी में रखी है।

मैं तो उन्हें चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा करता था। वे अहिंदीभाषी थे, पर उनकी हिंदी में त्रुटि खोजना असंभव था। वे संस्कृत और अंग्रेजी के भी विद्वान् थे। अपनी मातृभाषा कन्नड़ के अलावा मराठी, गुजराती पर भी उनका पूरा अधिकार था। विभिन्न भाषाओं में अनूदित करके न जाने कितने लेख उन्होंने नवनीत में प्रकाशित किए थे। श्री नारायणदत्त जी की गणना महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादक परंपरा में होती है। यह परंपरा सिर्फ उत्कृष्टता वाली परंपरा नहीं है, यह परंपरा इस विश्वास को भी जीती है कि पाठक को यही चीज पूरे स्वरूप में मिले। इससे श्री नारायणदत्तजी कोई समझौता नहीं करते थे। वे मानते थे कि सही जानकारी प्राप्त करना पाठक का अधिकार है और पाठक को सही जानकारी देना संपादक का कर्तव्य। लेखक का गलती करना उन्हें क्षम्य लगता था लेकिन संपादक का गलती न पकड़ पाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। यह सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी ईमानदारी का उदाहरण तो था ही, इसके प्रति सदैव सजग रहकर अपने पेशे अर्थात् पत्रकारिता में, उनकी निष्ठा का भी प्रतीक था। हमारी समूची पत्रकारिता में इस तरह के उदाहरण मिलना अब दुर्लभ होता जा रहा है।

कश्मीर समाधान

-शाहिद रहीम

[भारतीय मीडिया ने इस प्रस्ताव के सन्दर्भ से छोटी-मोटी खबरें तो छापी हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के विभाजन के क्षेत्रवार विवरण जो 'संयुक्त कश्मीर' के प्रस्ताव में निहित है, पहली बार पाञ्चजन्य में प्रकाशित हुआ था। पाञ्चजन्य से साभार प्रस्तुत है।]

'भारत और पाकिस्तान' के बीच कश्मीर समाधान की दिशा में निरन्तर वार्ता जारी है। इस बीच 'संयुक्त कश्मीर' अथवा 'युनाइटेड स्टेट आफ कश्मीर' या 'मुत्तहिदा-कश्मीर' नामक एक प्रस्ताव दोनों देशों की जनता के बीच विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सबसे पहले इस प्रस्ताव को पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने मौखिक रूप से मीडिया के सामने पेश किया। दूसरी बार इसी प्रस्ताव को थोड़े विस्तार के साथ हरियत नेता मीर वाइज उमर फारूक ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के समय जारी किया। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रस्ताव 'आजाद कश्मीर' के राष्ट्रपति सरदार अब्दुल कयूम खान ने जारी किया। तब से यह प्रस्ताव सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का केन्द्र बिन्दु है।

'संयुक्त कश्मीर' का यह प्रस्ताव कुछ कश्मीरी नेताओं और उनके पाकिस्तानी संरक्षकों को भी पसंद आया है। परन्तु पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर अपना कूटनीतिक मन्तव्य व्यक्त किया है। पाकिस्तान का मत है कि इस प्रस्ताव के पीछे 'अमरीकी सुरक्षा' और आगे 'अमरीकी स्वार्थ' निहित है ताकि वह भौगोलिक आधार पर इस महत्त्वपूर्ण स्थल को दक्षिण एशिया में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग में ला सके। यह प्रस्ताव भारत के हितों की भी रक्षा करता है। पाकिस्तानी नेतृत्व 'दावा' की प्रतिक्रिया यह है कि यदि इस प्रस्ताव पर काम किया गया तो पाकिस्तान उत्तर क्षेत्रों के साथ-साथ रेशम राजमार्ग एवं पाक अधिकृत से निकल कर (मंगला डैम को छोड़कर) जी.टी.रोड तक सीमित हो जाएगा।

संयुक्त कश्मीर का प्रारूप यह है कि सम्पूर्ण कश्मीर को पाँच प्रान्तों में विभाजित कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रान्त की अलग-अलग विधानसभा होगी जिसका चुनाव हुआ करेगा। इन पाँच प्रान्तों की एक 'संघीय संसद' होगी जिसे केन्द्रीय नेतृत्व प्राप्त होगा।

पाँच प्रान्त इस प्रकार होंगे-

1. लद्दाख एवं कारगिल (भारत)
2. जम्मू (भारत)
3. वादी-ए-कश्मीर (पाकिस्तान)
4. पाक अधिकृत कश्मीर (पाकिस्तान)
5. गिलगित-बाल्टिस्तान (पाकिस्तान)

भारत नियंत्रित क्षेत्रों में 3 प्रान्त, 14 जिले और 51 तहसीलें होंगी जबकि पाकिस्तान के नियन्त्रण में 2 प्रान्त, 12 जिले और 36 तहसीलें होंगी। 'संयुक्त कश्मीर' का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार होगा-

पहला प्रान्त - लद्दाख-कारगिल (दो जिले)

1. लद्दाख (दो तहसीलें) : (क) लेह (ख) पदम
 2. कारगिल (दो तहसीलें) : (क) कारगिल (ख) लद्दाख
- दूसरा प्रान्त - जम्मू (छह जिले)

1. जम्मू (चार तहसीलें)
(क) जम्मू (ख) साम्बा
(ग) अखनूर (घ) रणबीरसिंह पुरा
2. कठुआ (चार तहसीलें)
(क) कठुआ (ख) हीरानगर
(ग) सूली (घ) बलावर
3. ऊधमपुर (चार तहसीलें)
(क) ऊधमपुर (ख) रामनगर
(ग) रियासी (घ) गुलाबगढ़
4. राजौरी (तीन तहसीलें)
(क) राजौरी (ख) नौशहरा (ग) बुद्धल
5. पुंछ (तीन तहसीलें)
(क) हवेली (ख) सूरनकोट (ग) पुंछ

6. डोडा (चार तहसीलें)

(क) डोडा (ख) रामवन

(ग) किशतवाड़ (घ) भद्रवाह

तीसरा प्रान्त - कश्मीर घाटी (छह जिले)

1. श्रीनगर (तीन तहसीलें)

(क) श्रीनगर (ख) गांदरबल (ग) कंगन

2. पुलवामा (चार तहसीलें)

(क) पुलवामा (ख) शोपियाँ

(ग) तराल (घ) पामपुर

3. बड़गाम (चार तहसीलें)

(क) बड़गाम (ख) बेरूरा

(ग) चाडोरा (घ) मागाम

4. अनन्तनाग (चार तहसीलें)

(क) अनन्तनाग/इस्लामाबाद (ख) पहलगाम

(ग) डोरी (घ) कोलगाम

5. कुपवाड़ा (तीन तहसीलें)

(क) बारामूला (ख) सोपोर (ग) उड़ी

(घ) बांदीपुरा (च) पट्टन (छ) सोनाबाड़ी (ज) टनमर्ग

चौथा प्रांत-आजाद कश्मीर (सात जिले)

1. मुजफ्फराबाद (तीन तहसीलें)

(क) मुजफ्फराबाद (ख) हटियाँ (ग) आठ मकाम

2. भमबर (तीन तहसीलें)

(क) भमबर (ख) बरनाला (ग) समाहिनी

3. सिधनोई (दो तहसीलें)

(क) पुलन्दरी (ख) तरारखल

4. मीरपुर (दो तहसीलें)

(क) मीरपुर (ख) डोडियाल

5. पुंछ (दो तहसीलें)

(क) रावलाकोट (ख) हजीरा

6. कोटली (तीन तहसीलें)

(क) कोटली (ख) नकियाल (ग) सहंसा

7. बाग (तीन तहसीलें)

(क) बाग (ख) धीरकोट (ग) हवेली

पाँचवाँ प्रान्त-गिलगित-बाल्टिस्तान (पाँच जिले)

1. गिलगित (तीन तहसीलें)

(क) गिलगित (ख) तहसील नगर (ग) हनजा

2. घांची (तीन तहसीलें)

(क) खपलू (ख) माशाबरूम (ग) सियाचीन

3. दयामीर (तीन तहसीलें)

(क) चलास (ख) अस्तूर (ग) दरियल तानगीर

4. गजर (चार तहसीलें)

(क) यासीन (ख) गोपस

(ग) अशकोमन (घ) पनियाल

5. स्कार्डू (पाँच तहसीलें)

(क) स्कार्डू (ख) कोन्दू (ग) शगर

(घ) गिलतरी (ङ) खरमंग

गिलगित-बाल्टिस्तान : पाकिस्तान के उत्तर क्षेत्र में स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज तक चुनाव नहीं हुए। यह पाकिस्तान का नहीं बल्कि कश्मीर का हिस्सा है। जबकि यहाँ के नागरिकों ने अपने को कश्मीरी मानने से ही इंकार कर दिया है। यह सर्वथा विवादित क्षेत्र है। जम्मू-कश्मीर का यह भौगोलिक परिसीमन अन्ततः पाँचवें प्रान्त 'गिलगित-बाल्टिस्तान' के सन्दर्भ से विवाद का केन्द्र बना ही रहेगा। इसका समाधान अलग से ढूँढने की नई कोशिश करनी ही होगी।

भारतीय मीडिया ने इस प्रस्ताव के सन्दर्भ से छोटी-मोटी खबरें तो छापी हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर के विभाजन का क्षेत्रवार विवरण जो 'संयुक्त कश्मीर' के प्रस्ताव में निहित है, पहली बार पाञ्चजन्य में प्रकाशित हो रहा है। भारत सरकार इस प्रस्ताव के बारे में अब तक खामोश है। हालांकि कथित रूप से यह प्रस्ताव संप्रग सरकार को दूसरे गोलमेज कान्फ्रेंस के दो-दिन पूर्व कश्मीरी नेताओं ने सौंप दिए थे। परन्तु कांग्रेसी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने इस बारे में जनता को कोई सूचना नहीं दी।

DAYANANDA-AS A PREACHER

-Ved Mitra

Dayananda as a preacher can be placed in a class by himself. There is no class for him. There is no parallel for him.

It was for the first time in the history of India that Dayananda raised his mighty voice against idol-worship which was deeply rooted in Hindu flesh, blood and bone. Idol-worship was supposed to be the part and parcel of Hinduism. No body dared to go against idol-worship. It was Dayananda who clearly perceived the futility of idol-worship as he did not at all find the trace of it in the sublime Vedas. He did not find even a smell of idol-worship in the Vedas. The Vedas contain more than twenty thousand verses. There is not a single verse that can support the view point of idol-worship. On the contrary, the Vedas proclaim: "The formless Supreme Spirit that pervades the universe can have no material representation, likeness or image." ("Na tasya pratima asti...-Yajur Vedas:32.3). And as such Dayananda made full blooded attack on idol-worship. He boldly challenged all Pauranic (orthodox) Pandits to enter into debate with him, so far as the question of idol-worship was concerned.

He roared and said: Either you have to show idol-worship in the Vedas or you have to give it up entirely. The voice came like a heavy bombardment. All Pandits were startled and stunned. right from Kashmir to Kanyakumari. They all came to hold debate (Shastrartha) with him, but no scholar was successful to prove idol-worship from the Vedas. When highly reputed and famous scholars were defeated smashingly by Dayananda, intelligent people were greatly influenced and highly convinced. They felt the uselessness of idol-worship. A piece of stone, however beautiful it may be, always remains a piece of stone. It cannot be the object of our worship, just like the Taj Mahal which is unconscious of the admirations offered to it.

Dayananda toured from one part of India to another and preached the Hindus directly to drive off idol-worship from life, land and soil. Dayananda's constant and incessant preaching against idol-worship brought about revolutionary changes in the minds of Hindus. It was an era of radical change for them. It was an era of the conflict between thoughts and emotions. Thoughts overtook emotions. Many intelligent Hindus lost their faith in idol-worship. They began to throw the idols in the waters of Ganga and Yamuna.

Thus, the great Dayananda was successful in his campaign against idol-worship to a very great extent.

He, therefore, rendered a matchless service to entire Hinduism, making it free from the dirty clutches of idol-worship which was undoubtedly a later production. Idol-worship was not at all seen in Hindu religion right up to the time of Sri Krishna. It entered the threshold of Hinduism since the time of Mahavira Swami. It is therefore impossible for any wise man to prove idol-worship in Hinduism before the period

of Mahavira Swami is a solid evidence to this fact. Hence, idol-worship is a later production. And it is cleverly added into Hinduism by selfish scholars to earn their livelihood.

Towards the close of this subject it reminds me of that great impartial and celebrated writer of Bengal, Pandit Devendranath Mukhopadhyaya, who in his most inspiring language writes.

"May you be the chief justice of the supreme court; may you be the Prime Minister or Governor General; may you be greater than Brihaspati in intelligence; may you be greater than Cicero and Goethe in oration; may you be worshiped here in India or Abroad; may you be a shining jewel of Attorney clan; may you be a lawyer, barrister or advocate, may the bugle of your name and fame be blowing far and wide, but if you support the view point of idol-worship in any fraction of it, I have no hesitation in saying that you are not the friend but the foe of India because idol-worship is the root of all evils that are prevalent in India." (Hindi biography of Maharshi Dayananda, p.27)

My most beloved readers! Think impartially and decide intellectually.

Another full blooded attack that Dayananda made was on Sakaravada (a misconception of assuming different incarnations of God). God is described Omnipresent and Formless in the Vedas:

That All-pervading Reality (God) is free from any sort of body-the gross body, the subtle body and the caused body. He never comes in the womb of a mother. He is full Effulgent, Self-existent and Omniscient".

'He is Omnipresent, Omniscient and Omnipotent, He is the support of the earth, the heaven, the sun, the moon, the vast atmosphere and the entire universe.' (Sambho dadhar....' and 'Yah shramat tapaso....'- Atharva Veda : 10.7.35-36)

The fundamental point raised by Dayananda is most remarkable here. Dayananda says: When God is Omnipotent (Sarva-shaktimana) and support of all (Sarvadhara), how can he require support from any body or any thing? If you say, He requires support from any body, then, He ceases to be Omnipotent and All-supporting. If you say, He does not require any support from any body, then He is proved Formless as he does not require the support of any physical body.

Thus, Dayananda the great has blown off the mighty fortress of so-called 'Incarnation' or Sakara-vada with one master stroke.

He, therefore, preached aloud that Sri Rama and Sri Krishna were neither God nor the incarnations of God. Rama and Krishna were great persons. They were individual souls. They can not be compared with Almighty God-The Omnipresent, All-pervading Supreme Self, the One without the second. Therefore, to worship Rama and Krishna etc. as God is a philosophical and spiritual mistake. No soul, however great he may be, can ever take the place of God is All-knowledge and Knowledge-Absolute. Can any soul however realized he may be create the world? Can he create the sun, the moon, the earth and stars? No. Why, then, all these absurd argumentations about Rama and Krishna as God? Soul always remains soul and God always remains God.

Thus, Dayananda brought back in Hinduism, its primitive element and glory. This is the reason why Dayananda can be placed in a class by himself.

Date of Pubn. : 31.1.2017 Posted at - NIE - H.O. Postal Date : 2-3 Feb. 2017
RNI Reg. No. DELBIL/2007/22062 Postal Regd. No. DL(W) 10/2143/2017-2019

सेमं नः काममापूण गोभिरश्वैः शतक्रतो।

रत्तंवाम त्वा स्वाध्य। ऋग्.1/31/4।।

ऋषिः - मेघातिथिः काण्वः, देवताः, इन्द्रः, छन्द-गायत्री

हे शतक्रतो अनन्त कार्यों को सिद्ध करने वाले परमेश्वर! आप अनन्त बल क्रियायुक्त हैं, ऐसे आप हमें गाय, घोड़े आदि श्रेष्ठ पशुओं और उत्तम इंद्रियों और चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्वर्य प्रदान करें और हमारे सब कार्यों को पूर्ण करें। फिर हम भी सुबुद्धियुक्त होकर आपकी स्तुति करें। निश्चय ही आपके सिवाय अन्य कोई हमारे श्रेष्ठ कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। जो आपको निसार कर किसी अन्य की उपासना और याचना, करता है, उसके सब कार्य नष्ट हो जाते हैं।

Oh Lord of Infinite Activity, You ordain the endless development going on in this world. We request You, Oh Lord, to fulfil our desires in this very life, by bestowing upon us powerful physical faculties and material wealth. This also is very clear to us that the desires of those who forget You and fix their hopes on others, are never fulfilled.